

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

कमांक:प. 2(13)पपा-2000/पार्ट II

जयपुर, दिनांक 27.12.2004

विषय:- निजी क्षेत्र में संचालित पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्वीकृति बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कुल 44 पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। उक्त प्रशिक्षण विद्यालयों की काउन्सिलिंग पूर्ण होते ही श्री अमर ज्ञान विद्यालय समिति, बीकानेर द्वारा मा0 राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 5908/2003 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव, राज0 की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर निर्देश दिये गये कि याची के प्रतिवेदन पर कमेटी सुनवाई कर जो जो विद्यालय राज्य सरकार के माप दण्ड पूर्ण करते हों, उनको प्रशिक्षण विद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति दी जावे ।

मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता वाली समिति ने सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित कर इन संस्थाओं की पुनः निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर जो संस्थाएं विभागीय माप दण्डों के अनुरूप पायी जावे, को प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देने की अभिशंखा की ।

राज्य सरकार को जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण करने उपरान्त राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को पशुधन सहायक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करती है :-

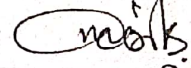
क्र. सं.	जिला	संस्था का नाम	स्थान
1	हनुमानगढ़	स्वामी शिक्षा समिति, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
2	—	सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षण संस्थान, भादरा	भादरा
3	डूंगरपुर	एम.बी.हेल्थ एंड हाईजीन नसिंग शिक्षण संस्थान, डूंगरपुर	डूंगरपुर
4	झुन्झनू	रूरल एजुकेशन डवलपमेंट सोसायटी, चिड़ावा	चिड़ावा
5	झुन्झनू	आदर्श पिलानी एजुकेशन ट्रस्ट, पिलानी	पिलानी
6	करौली	राजीव गांधी सर्वोदय शिक्षण संस्थान, हिण्डोनसिटी	हिण्डोनसिटी

7	कोटा	महर्षि दाधीच विद्यानिकेतन कोटा	कोटा
8	श्रीगंगानगर	जे.आर.टांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
9	श्रीगंगानगर	श्री मनोहर बाल मंदिर समिति, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
10	सीकर	शेखावाटी एजुकेशन सोशल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सीकर	सीकर
11	सीकर	एलाइन्स शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर	सीकर
12	बारां	सहारा शिक्षा समिति, कोटा	बारां
13	बीकानेर	सहेली समिति, बीकानेर	बीकानेर
14	बीकानेर	श्री महाजनी विद्यालय समिति बीकानेर	नाल (बीकानेर)
15	टोंक	देवनारायण विकास संस्थान, टोंक	टोंक
16	जोधपुर	मानव कल्याण विकास संस्थान, जोधपुर	जोधपुर
17	जोधपुर	श्री लाल बहादुर शास्त्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	भावी(जोधपुर)
18	जोधपुर	मयूराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान, मंडोर, जोधपुर	जोधपुर
19	जयपुर	संजय शिक्षा समिति जयपुर	जयपुर
20	जयपुर	ज्योतिबाफुले सोशियल बेलफेयर सोसायटी चौमूं	जयपुर
21	जयपुर	गरीबनवाज सेवा समिति अलवर मुख्यालय शाहपुरा जयपुर	जयपुर
22	जयपुर	भारती बाल मंदिर समिति आमेर रोड जयपुर	जयपुर
23	अलवर	चौधरी चरणसिंह मेडिकल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अलवर	अलवर
24	अलवर	दीनबंधु शिक्षण संस्थान, खेडली	अलवर

६०
(एम० एल० जागिड़)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय पशुपालन मंत्री, राजस्थान
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान
6. अध्यक्ष/सचिव, सम्बन्धित संस्था सरदार नन्कभ भाई पटेल शिक्षण संस्थान भादय (हनुमानगढ़)
7. रक्षित पत्रावली ।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :- प. 2113/पपा/2000

जयपुर, दिनांक :- 29.7.2003

निदेशक,

पशुपालन विभाग,
राज0, जयपुर।

विषय :- पुरु, श्रीगंगानगर, बीकानेर, तीकर, जयपुर, जोधपुर,
हनुमानगढ़, झुंटी, बारा, झालावाड़, अलवर जिलों
में निजी क्षेत्र के पशुधन तहायक प्रशिक्षण विद्यालय
स्थापित किये जाने बाबत।

महोदय,

आपके द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्तावों पर विचार करने के
पश्चात् निम्नांकित संस्थाओं को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर निजी
क्षेत्र में पशुधन तहायक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति सतद
द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान एवं जिला जहाँ पशुधन तहायक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया जावेगा।
1.	स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, संस्था-ताटूलपुर। पुरुड	ताटूलपुर। पुरु।
2.	जे.आर.टॉटिया चेरिटेबल ट्रस्ट, टॉटिया हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर।
3.	श्री महाजनी विद्यालय समिति, बीकानेर	बारा। बीकानेर।
4.	शेखावाटी रजुकेश एंड सोनपल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नवलगढ़ रोड, तीकर	तीकर। तीकर।
5.	ज्योतिबा पूने सोरथल वेलफेयर सोसायटी, अजमेर रोड, जयपुर।	घोमू। जयपुर।
6.	सिमू एवं ग्रामीण विकास समिति, जयपुर	जोबनेर। जयपुर।
7.	श्री लालसहादूर शास्त्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	जोधपुर। जोधपुर।
8.	तरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण संस्थान, भादरा, हनुमानगढ़।	भादरा। हनुमानगढ़।
9.	सुहित जनकल्याण समिति, विज्ञान नगर, कोटा।	झुंटी। झुंटी।

1.	2.	3.
10.	तहारा शिक्षा समिति, विज्ञान नगर, कोटा	मारा । मारा ।
11.	तैल्लू सेवा समिति, झालावाड़	झालावाड़ । झालावाड़ ।
12.	'लिबर्टी' मेडिकल एजुकेशन रैंड रितव तोतापट्टी, जयपुर ।	जयपुर । जयपुर ।
13.	तती जायदे पब्लिक हेल्थ रैंड एजुकेशन ट्रस्ट, भिमानी । हरियाणा ।	जनकपुरा निगराना । अलवर ।
14.	महात्मा ज्योतिरावफुले शिक्षा संस्थान, न्यू तांगानेर रोड, जयपुर ।	जयपुर । जयपुर ।
15.	गरीब नवाज सेवा समिति, अलवर	शाहपुरा । जयपुर ।
16.	एलाइन्ड शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, लीकर ।	लीकर । लीकर ।
17.	गुरेन्द्र बाल भारती समिति, जयपुर	जयपुर । जयपुर ।
18.	मनोहर बाल मन्दिर समिति, 5-डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर ।	श्रीगंगानगर । श्रीगंगानगर ।

उपरोक्त संस्थाओं को राज्य सरकार/ निदेशक, पशुपालन विभाग,
द्वारा निर्धारित मानदण्डों, नियमों की पालना के अतिरिक्त निम्नांकित बातों
की पालना की जानी आवश्यक होगी :-

1. संस्था- निदेशक, पशुपालन विभाग । निदेशालय । एवं राज्य सरकार
द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तकनीकी संस्थाओं में आने
संस्थान को तत्र प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक रूप से तृप्तजित करेंगी ।
मानदण्डों की अवहेलना की स्थिति में संस्था की मान्यता समाप्त की
जा सकेगी । फिर भी ऐसा कोई निष्पक्ष लिये जाने से पूर्व निदेशक,
पशुपालन विभाग, संस्थान को अपनी कमियों में सुधार का अवसर प्रदान
करेंगे ।

12। छात्रों/छात्राओं की शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा
पद्धति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता नियमों के अनुसार होगी ।
इस संबंध में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा ।

13। माननीय तथोच्च न्यायालय द्वारा निजी संस्थाओं के संबंध में दिये गये
निष्पक्ष अनुसार प्रवेश एवं शुल्क का निर्धारण किया जावेगा ।

14। संस्था को किसी भी प्रकार का अनुदान/अभियोग राज्य सरकार द्वारा
नहीं दिया जावेगा ।

15। संस्था और प्रशिक्षार्थियों के संबंध में उत्तरदायित्वों के लिए संस्था
जिम्मेदार होगी ।

- 16। राज्य सरकार/ निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर अध्या उनके द्वारा नामित व्यक्ति तैयारी का कितनी भी समय निरीक्षण करने हेतु अधिकृत रहेंगे।
- 17। निरीक्षण प्रतिवेदन में तैयारी के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं/कमियों की पालना पूर्ति तैयारी द्वारा तात दिवस में पूर्ण की जानी आवश्यक होगी।
- 18। पाँच वर्षों तक तैयारी में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु निकटतम पशु चिकित्सा तैयारी सर्व विभाग के कृषि फार्मों को उपयोग में लिया जावेगा। इस हेतु यदि कोई व्यय होगा तो वह तैयारी द्वारा वहन किया जावेगा। पाँच वर्ष पश्चात् तैयारी को अपनी स्वयं की उपरोक्त सुविधायें जुटानी आवश्यक होगी।
- 19। तैयारी को पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों छात्रों/छात्राओं की भर्ती करने की अनुमति दी जाती है।
- 20। तैयारी द्वारा शासन को प्रस्तुत प्रस्ताव में रही कमियाँ सर्व निरीक्षण दल द्वारा चिन्हित की गई कमियों के संबंध में तैयारी प्रधान द्वारा अध्या तैयारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस विभाग में उपस्थित होकर, जानकारी प्राप्त कर तात दिवस में पूर्ति करनी होगी।
- 21। उपरोक्त तैयारीओं को पंजीयन शुल्क की राशि रुपये 2.00 लाख अर्थात् दो लाख। का बैंकर चेक/ड्राफ्ट पत्र प्राप्त की तिथि से 30 दिवस की कालावधि में निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर के यहाँ जमा करानी होगी।
- 22। क्र. सं. 2। 14 से 17 पर अंकित तैयारियाँ आवश्यक अर्हताएँ सर्व योग्यताएँ पूर्ण नहीं करती हैं। इन्हें आवश्यक अर्हता सर्व योग्यताएँ पूर्ण करने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भरतीय,

तत्पश्चात् मतवाली
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भेजि है :-

- 1। निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2। सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3। विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग।
- 4। निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5। मंत्रीमंडल सचिवालय/सामान्य प्रशासन विभाग, राज. जयपुर।
- 6। संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग।
- 7। संबंधित उपरोक्त तैयारी - सचिव, सरेदार बल्लभ मई पटेल शिक्षण संस्थान, भांडरा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)
- 8। रक्षा पत्रावली।

तत्पश्चात् मतवाली
शासन उप सचिव